बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

का0आ0/सै0क0नि0/11/03/2014/436/पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

कार्यालय आदेश संख्या/ 7 /2017

दिनांक 17.01.2017 को हुई राजकीय प्रबंध समिति की 20वीं बैठक की कार्यवाही की मद संख्या 2.3 में निहित निर्णय के आलोक में सेवाकाल में सैन्य सेवा के कारण मृत सैनिक के आश्रितों को मकान बनाने/मरम्मति हेतु आर्थिक सहायता की दर में बढ़ोतरी की गई है जिसमें युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के विधवाओं/शांति काल में वीरगति प्राप्त सैनिकों के विधवाओं जिनकी मृत्यु सैन्य सेवा के कारण हुई हो/युद्ध में अपंग सैनिक जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो को मकान बनाने/मरम्मति हेतु आर्थिक सहायता 20,000/-रू0 को बढ़ाकर 50,000/-रू0 किया गया एवं पूर्व की तरह दो किस्तों में भुगतान किया जायगा।

2. यह आदेश राजकीय प्रबंध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की तिथि यथा 17.01.2017 से प्रभावी होगा तथा यह व्यय विशेष कोष (सैनिक कल्याण फंड) से किया जायेगा। स्वीकृति हेतु निदेशालय के पत्रांक 327 दिनांक, 11.5.2002 एवं पत्रांक 554 दिनांक 24.7.2002 में निहित शेष शर्त्ते यथावत रहेंगे।

(शिव नारायण मंडल)
निदेशक

ज्ञापांक : सै0 क0 नि0/11/03/2014/436/पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

प्रतिलिपि, महामहिम के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 7.4.17

ज्ञापांक : सै0 क0 नि0/11/03/2014/436/पटना-23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

प्रतिलिपि, सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखापाल/प्रभारी सहायक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 7.4.17

दूरभाष/फैक्स-0612-2281016
ई-मेल-directorskbihar@gmail.com

GKY 12.11.2018

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय :- आवेदक/आवेदिका का नाम :-
पत्नी :-
पत्रांक :- दिनांक :- (पृ0- /प0)

मकान निर्माण/मरम्मति हेतु जाँच : नियम : शर्ते (प्रथम किस्त)

क्र0	मुख्य तथ्य	अभ्युक्ति	पृष्ठ
1.	चेक लिस्ट संलग्न है।	हाँ/ना	
2.	आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित है।	हाँ/ना	
3.	मकान मरम्मति या मकान निर्माण का स्पष्ट उल्लेख है।	हाँ/ना	
4.	स्व0 सैनिक की सेवा विवरणी का अभिप्रमाणित छायाप्रति/भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज बुक संलग्न है।	हाँ/ना	
5.	आवेदन पत्र पर आवेदक/आवेदिका का चिपका फोटो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/संबंधित जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है। (प्रथम किस्त के लिए)	हाँ/ना	
6.	जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा निर्गत पहचान-पत्र की छाया प्रति संलग्न है।	हाँ/ना	
7.	पूर्व में आवेदक या आवेदिका को अन्य श्रोतों या इन्दिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला है (इसका रिर्पोट संबंधित जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा)।	हाँ/ना	
8.	युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं या शांतिकाल में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं जिनकी मृत्यु सैन्य सेवा के कारण हुई हो (Attributable to Mil Service) या युद्ध में अपंग सैनिकों जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।	हाँ/ना	
9.	मकान मरम्मति/निमार्ण हेतु प्राक्कलित राशि का सत्यापन मुखिया/सरपंच/वार्ड प्रतिनिधि द्वारा किया गया है।	हाँ/ना	
10.	अद्यतन मालगुजारी रसीद/नगर निगम का रसीद मुहर के साथ अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।	हाँ/ना	
11.	आवेदन पत्र का प्रकार-प्रथम/द्वितीय किस्त का स्पष्ट विवरणी है।	हाँ/ना	
12.	निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 07/2017-सह-पठित ज्ञापांक 436 दिनांक, 07.04.2017 के अनुसार योजना का लाभ एक बार ही अनुमान्य है। इस संबंध में संधारित पंजी से जाँच किया गया कि इससे पूर्व योजना का लाभ नहीं मिला है।	हाँ/ना	
13.	बैंक पासबुक का पहला पेज जिसमें IFSC Code हो, संलग्न है।	हाँ/ना	
14.	आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है।	हाँ/ना	
15.	अनुलग्नक अभिप्रमाणित है।	हाँ/ना	

GKY 07.01.2019

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय :– आवेदक / आवेदिका का नाम :–

पत्नी :–

पत्रांक :– दिनांक :– (पृ0– / प0)

मकान निर्माण / मरम्मति हेतु जाँच : नियम : शर्तें (दूसरी किस्त)

क्र0	मुख्य तथ्य	अभ्युक्ति	पृष्ठ
1.	आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित है।	हाँ / ना	
2.	आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में है या नहीं।	हाँ / ना	
3.	दूसरी किस्त का आवेदन पत्र एक वर्ष के अन्दर संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत है या नहीं।	हाँ / ना	
4.	दूसरी किस्त के लिए पहली किस्त यानि 25,000 / –रू0 का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं।	हाँ / ना	
5.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की तिथि।	हाँ / ना	

वीरगति प्राप्त सैनिकों के विधवाओं/युद्ध में अपंग सैनिकों को मकान बनाने/मरम्मति करने हेतु आर्थिक अनुदान (प्रथम किस्त) हेतु आवेदन–पत्र

(आवेदन पत्र निःशुल्क है)

खण्ड – "क"

(आवेदक/आवेदिका द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदक का नम्बर : रैंक नाम
2. विधवा का नाम :
3. स्थायी पता (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट/सेवा विवरणी के आधार पर) : –

---

4. सेना में भर्ती की तिथि :
5. सेना से निवृति/मृत्यु की तिथि :
6. सेवा निवृति/मृत्यु का कारण :
7. रेजिमेन्ट/कोर का नाम :
8. जन्म तिथि :
9. अपंग होने की तिथि (विवरणी एवं प्रतिशत के साथ) :
10. बैंक खाता नम्बर (बैंक के शाखा के नाम के साथ) :

---

11. जिस जमीन पर मकान बनाना हो/जिस भवन का मरम्मत कराना हो उसकी विवरणी :– मौजा : खाता न0 खेसरा न0

    होल्डिंग न0
12. प्रस्तावित व्यय की विवरणी (अलग से संलग्न करना है)

    अधिकतम अनुदान की राशि 50,000/–रू0 जीवन काल में एक ही बार अनुमान्य है।
13. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरणी सत्य है। मुझे राज्य सरकार से निःशुल्क मकान बनाने या मकान मरम्मत हेतु किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं मिला है।

.....2

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र के कमांक–6 में उल्लिखित खर्च की विवरणी सही है। उनके अनुदान की दूसरी किस्त भुगतान हेतु अनुशंसा करता/करती हूँ।

तिथि :–..... मुखिया/वार्ड आयुक्त का हस्ताक्षर

मैं श्री.....कल्याण व्यवस्थापक प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक/आवेदिका द्वारा उपर दिये गये तथ्य की जाँच कर लिया हूँ और सत्य पाया। अनुदान की दूसरी किस्त स्वीकृत की जा सके।

तिथि :–..... कल्याण व्यवस्थापक का हस्ताक्षर

मैं कल्याण व्यवस्थापक श्री.....के द्वारा किये गये जाँच से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैं आवेदक/आवेदिका को द्वितीय किस्त की रूवीकृति के लिए अनुशंसा करता हूँ।

तिथि :–..... जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुशंसित/अ–अनुशंसित

तिथि :–..... उपनिदेशक/सहायक निदेशक

स्वीकृत/अस्वीकृत

तिथि :–..... निदेशक, सैनिक कल्याण

मकान बनाने/मरम्मत करने हेतु स्वीकृत अनुदान की दुसरी किस्त भुगतान का आवेदन पत्र

(आवेदन पत्र तीन प्रतियों में भरा जाना है)

1. आवेदक का नम्बर : रैंक नाम
2. विधवा का नाम :
2. वर्त्तमान पता :– ग्राम.....पोस्ट.....
   थाना.....जिला.....
3. स्वीकृत राशि :–.....
4. स्वीकृत आदेश संख्या एवं तिथि :–.....
5. प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त की गई राशि एवं तिथि :–.....
6. स्वीकृत की गई राशि के खर्च की विवरणी :–.....
   (क)
   (ख)
   (ग)
   (घ)
   (ङ)
   (च)
   (छ)
   (ज)
   (झ)

7. बैंक खाता का न0.....
   बैंक शाखा के नाम के साथ.....
8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र संलग्न है/नही.....
9. मैं, प्रमाणित करता/करती हूँ की पहली किस्त का खर्च कम संख्या–6 में दर्शाय गये मद में की गई है एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।

तिथि :–.....

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर)

दूरभाष/मोबाईल संख्या

आवश्यक दस्तावेज :

(i) हस्ताक्षरित चेक लिस्ट (निर्धारित प्रपत्र में)।
(ii) स्व0 सैनिक की डिस्चार्ज बुक/सेवा विवरणी की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
(iii) यदि भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु सेवा विमुक्ति के बाद हुई हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
(iv) पारिवारिक विवरणी की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
(v) जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र की अभिप्रमाणित छायापति।
(vi) विवाह से संबंधित निमंत्रण कार्ड की प्रति।
(vii) वर–वधु की आयु से संबंधित अभिलेख की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
(viii) विवाह निबंधन प्रमाण पत्र जिसमें वर–वधु की संयुक्त फोटोग्राफ हो की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
(ix) पासबुक का पहला पेज जिसमें खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, पता तथा IFSC Code हो की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
(x) आवेदक/आवेदिका का आधार कार्ड की छायाप्रति की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
(xi) यदि दो से अधिक पुत्री हो तो, आवेदक/आवेदिका अथवा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर से स्पष्ट किया जाय।

नोट : दो पुत्रियों के लिए ही वैवाहिक अनुदान अनुमान्य है।

खण्ड – "ख"

(प्रखंड विकास कार्यालय/अचंल कार्यालय में भरा जायेगा)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि खण्ड –"क" में आवेदक/आवेदिका द्वारा लिखित विवरणी सही है। उनकी पुत्री.....जन्म तिथि.....को शादी.....(लड़का का नाम), ग्राम.....पोस्ट.....जिला.....के साथ दिनांक.....को सम्पन्न हुई है। इनके विवाह का रजिस्ट्रेशन/निबंधन संख्या.....दिनांक.....है।

तिथि.....

(प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर)

खण्ड – "ग"

(जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

पुत्री विवाह से संबंधित आवेदन आज दिनांक.....को कार्यालय में प्राप्त हुआ है। मेरे द्वारा आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों तथा दस्तावेजों की जॉच की गई एवं इसे सही पाया गया।

आवेदक/आवेदिका के पुत्री.....जिनकी जन्म तिथि.....है, का विवाह दिनांक.....को सम्पन्न हुआ है। अतः आर्थिक सहायता हेतु अनुशंसा की जाती है। आवेदक/आवेदिका का नाम कार्यालय पंजी के क्रमांक.....में दर्ज है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका को दो पुत्रियों की विवाह हेतु सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा आर्थिक सहायता का प्रवधान है। यह आवेदन उनकी पहली/दूसरी पुत्री के लिए है।

(दूसरी पुत्री की स्थिति में)

पहली पुत्री को वैवाहिक अनुदान मिला है/नहीं मिला है। यदि मिला है तो उसकी तिथि.....है।

तिथि :

(कल्याण व्यवस्थापक का नाम/प्रभारी के नाम एवं हस्ताक्षर)

मैं कल्याण व्यवस्थापक/प्रभारी, श्री.....(कल्याण व्यवस्थापक का नाम) के उक्त प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आवेदक/आवेदिका.....को 1,00,000/–(एक लाख रूपये) मात्र उनकी पुत्री के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु अनुशंसा करता हूँ।

तिथि :

(जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)

पत्रांक/से0क0नि0/12/03/89/ 327

बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय दूरभाष : 225301

प्रेषक,

श्री रविकान्त, भा0प्र0से0
निदेशक ।

सेवा में,

सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय । पटना

पटना-15, दिनांक 11 मई, 2002

विषय : युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं, सेन्य-सेवा काल में मृत सैनिकों की विधवाओं एवं युद्ध में विकलांग सैनिकों को गृह निर्माण / मरम्मती हेतु आर्थिक सहायता के भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस निदेशालय के पत्रांक 1091 दिनांक 20-6-1991 तथा 2654 दिनांक 15-1-1998 के प्रसंग में कहना है कि युद्ध में विकलांग सैनिकों, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं एवं सेन्य-सेवा काल में मृत सैनिकों की विधवाओं को सैनिक कल्याण निदेशालय की विशेष निधि से 20000.00 (बीस हजार) रुपये की आर्थिक सहायता गृह निर्माण / मरम्मति के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है, जिसका भुगतान उन्हें दो समान किस्तों में किया जाता है । अतः लाभानुभोगियों को स्वीकृत राशि स-समय मुहैया करा देने में ही उद्देश्य की सार्थकता होगी ।

2. किन्तु, ऐसा देखा गया है कि प्रथम किस्त की राशि के भुगतान कर दिये जाने के बाद लाभानुभोगी से द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने में अत्यधिक विलम्ब होता है, जिससे निदेशालय स्तर पर कई प्रकार की कठिनाईयाँ उत्पन्न हो जाती है । साथ ही, लाभानुभोगियों को राशि विलम्ब से प्राप्त होने तथा आवश्यक सामग्रियों के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण उन्हें उक्त राशि से अधिकाधिक लाभ नहीं मिल पाता है । ऐसा अनुभव किया जाता है कि प्रथम किस्त की राशि की प्राप्ति के बाद द्वितीय किस्त की राशि के भुगतान हेतु यथाशीघ्र आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की गम्भीरता से अवगत होने के कारण विधवाओं / भूतपूर्व सैनिकों द्वारा आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में विलम्ब से प्रस्तुत किये जाते हैं ।

अतः निदेश दिया जाता है कि ऐसे विकलांग सैनिकों / विधवाओं को जिन्हें गृह-निर्माण / मरम्मत हेतु स्वीकृत आर्थिक सहायता की राशि के प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है किन्तु द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु आवेदन उनसे अभीतक अप्राप्त है, को सूची जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर तैयार किये जायें तथा संबंधित लाभानुभोगियों को विषय-वस्तु की गम्भीरता से अवगत कराते हुए यथाशीघ्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाये ।

पृष्ठ - 2

(29)

- 2 -

4. ऐसे लाभानुभोगियों के मामले में जिन्हें प्रथम किस्त की राशि का भुगतान एक वर्ष या उसके पूर्व किया जा चुका है और उन्होंने द्वितीय किस्त की राशि के भुगतान हेतु अभीतक अपना आवेदन-पत्र जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है के लिए स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि यदि वे द्वितीय किस्त की राशि के भुगतान हेतु अपना आवेदन-पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में दिनांक 30-6-2002 तक प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उक्त तिथि के बाद उनके आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में विचारार्थ स्वीकार्य नहीं होगा । तत्पश्चात ऐसे सभी आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निदेशालय को जाँचोपरान्त उपलब्ध करा दिया जाये ।

5. भविष्य में गृह निर्माण / मरम्मत कराने हेतु स्वीकृत राशि के प्रथम किस्त के भुगतान के पश्चात एक वर्ष के अन्दर द्वितीय किस्त की राशि के भुगतान हेतु संबंधित लाभानुभोगी से आवेदन-पत्र जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्राप्त हो जाना अनिवार्य है । संबंधित भूतपूर्व सैनिकों / विधवाओं को प्रथम किस्त के भुगतान हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त करते समय ही इस तथ्य से अवगत करा देना चाहिए । तत्कालिक प्रभाव से निदेश दिया जाता है कि जिस भूतपूर्व सैनिक / विधवा का द्वितीय किस्त के भुगतान से संबंधित आवेदन पत्र एक वर्ष की निर्धारित समय-सीमा के अन्दर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है, उसके आवेदन-पत्र निदेशालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा । कृपया इस तथ्य से लाभानुभोगियों को अवगत करा दिये जायें तथा इसे दृढ़ता से पालन किया जाये ।

6. प्रसंगाधीन अनुदान गृह-निर्माण तथा मकान मरम्मती दोनों कार्यों के लिए अनुमान्य है । परन्तु दोनों कार्यों के लिए आवेदन-पत्र का एक ही प्रपत्र निर्धारित है । आवेदन पत्र में ही जहाँ "मकान बनाने/ मरम्मत हेतु" शब्द उल्लिखित है, वहाँ दोनों में से जो लागू नहीं है, उसे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में संबंधित कर्मचारी द्वारा जाँच के क्रम में आवेदक / आवेदिका से तत्सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर काट देना चाहिए । परन्तु व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि आवेदक / आवेदिका ने किस उद्देश्य हेतु आवेदन किया है । अतः निदेश दिया जाता है कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर सुनिश्चित कर आवेदन पत्र में आवश्यक सुधार कर दिये जायें । तथा अनुशंसा में भी इस आशय का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए ।

7. कृपया पावती भेजें ।

विश्वासभाजन,

(हरिकान्त)
निदेशक ।

वर्मा
7/5